



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार**  
पो0ऑ0-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404  
वेबसाइट-[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)



टोल फ्री नं0  
18001804143  
मोबाइल नं0  
7060002410

विज्ञापन संख्या – 03/डी0आर0/सेवा-2/2014-15

**विभिन्न विभागों में रिक्त समूह-‘ग’ के पदों पर सीधी  
भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	– 07 फरवरी, 2015
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	– 23 फरवरी, 2015 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	– 27 फरवरी, 2015

**अति महत्वपूर्ण निर्देश :-**

- 01- अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- 02- आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) एवं भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।
- 03- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **23 फरवरी, 2015** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों, तथा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत भी हों।
- 04- अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से 05 वर्षों तक के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 05- आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 06- आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन-लाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- 07- प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑन लाइन आवेदन एवं बैंक चालान (भारतीय स्टेट बैंक) के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 08- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही आवेदन पत्र भर लें।

09—सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "Online Application" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

10— ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उसी गुणांक में परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। उदाहरणार्थ— यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी खान निरीक्षक (परीक्षा शुल्क ₹0 150/—) एवं सर्वेक्षक (परीक्षा शुल्क ₹0 150/—) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग अर्थात् ₹0 300/— परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

11— अभ्यर्थी एक पद हेतु, एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

12—प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार के पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

13— साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु समस्त प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण आदि) की छायाप्रति कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14— परीक्षा के आगामी चरण में अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त समूह— 'ग' के 49 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु सीधे साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

01. **रिक्तियों की संख्या** : रिक्तियों की कुल संख्या 49 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	पद की श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणीवार पदों का विवरण				
					अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अ०पि० वर्ग	योग
01.	पर्यटन विभाग	सहायक प्रवक्ता (कुकरी, बेकरी, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट, रिसैप्शन)	समूह-ग	01	—	01	—	—	01
02.	खेल विभाग	उप क्रीड़ा अधिकारी	समूह-ग	03	01	01	—	01	03
03.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	प्राविधिक सहायक, भू-भौतिकी	समूह-ग	01	01	—	—	—	01
04.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	प्राविधिक सहायक, भू-विज्ञान	समूह-ग	02	01	01	—	—	02
05.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	प्राविधिक सहायक, रसायन	समूह-ग	01	01	—	—	—	01
06.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	खान निरीक्षक	समूह-ग	10	06	03	—	01	10
07.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	मानचित्रकार (नक्शानवीस)	समूह-ग	01	—	01	—	—	01

08.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अवर अभियन्ता (सिविल)	समूह-ग	05	04	01	—	—	05
09.	पालिका केन्द्रीयित सेवा (शहरी विकास विभाग)	प्रधान लिपिक	समूह-ग	24	15	05	01	03	24
10.	भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)	सर्वेक्षक	समूह-ग	01	—	01	—	—	01
<b>कुल योग</b>				<b>49</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>49</b>

**नोट-1.** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन (PIL) संख्या-67/2011 विचाराधीन है।

अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

**2.** अभ्यर्थी एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

**3. समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता –**

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह-ग के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

(iii). अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के सम्बन्ध में हाँ/नहीं को चुने।

## विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण

### 01. सहायक प्रवक्ता (कुकरी, बेकरी, रेस्टोरैन्ट, रिसेप्शन, हाउस कीपिंग) (पर्यटन विभाग)

(i) पदों की संख्या – 01(अनु0जाति)

(ii) वेतनमान – रू 9300-34800 ग्रेड पे-रू 4200/-

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(अ) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि।

(2) नेशनल कैटरिंग कौंसिल अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा डिग्री।

(3) किसी सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक कार्य अथवा तीन सितारा होटल में न्यूनतम 01 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(ब) **अधिमानी अर्हता – (क)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग से सम्बन्धित विषय यथा कुकरी, बेकरी, रिसेप्शन, रेस्टोरैन्ट एवं हाउसकीपिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा या सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

(ख) डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंक्रेडियेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेज से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से न्यूनतम '**O' Level** का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र धारक।

(स) **अन्य अधिमानी अर्हता –** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट—** अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) **आयु सीमा –** आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(vi) **उच्चतम आयु सीमा में छूट:-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "**नोट-3**" देखें।

## **02. उप क्रीड़ा अधिकारी (खेल विभाग)**

(i) पदों की संख्या – 03(01 अनारक्षित, 01 अनु0जाति0व 01 अ0पि0 वर्ग हेतु आरक्षित)

(ii) वेतनमान – रु 9300-34800 ग्रेड पे-रु 4200/-

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) **शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें—**

(क) **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –**

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(2) खिलाड़ी के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

(3) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा।

(4) प्रशिक्षण (कोचिंग) का दो वर्ष का अनुभव।

(ख) **अधिमानी अर्हता –**

(1) खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव।

(2) शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र।

(ग) **अन्य अधिमानी अर्हता** – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट-** अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) **आयु सीमा** – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) **उच्चतम आयु सीमा में छूट:-** उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में **“नोट-3”** देखें।

### 03. प्राविधिक सहायक भू-भौतिकी, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)

(i) पदों की संख्या –01(अनारक्षित)

(ii) वेतनमान – रु 9300-34800 ग्रेड पे-रु 4200/-

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** – भू-भौतिकी, प्रायोगिक भू-भौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ अधिस्नातक की उपाधि। बी.एस.सी. में भौतिकी शास्त्र और गणित और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) **अधिमानी अर्हता** – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(v) **आयु सीमा** – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) **उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में **“नोट-3”** देखें।

**04. प्राविधिक सहायक भू-विज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)**

(i) पदों की संख्या –02 ( 01 पद अनारक्षित व 01 पद अनु0जाति हेतु आरक्षित)

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4200/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता — कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि या समकक्ष अर्हताएं या इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता – 1. शोध अनुभव या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित क्षेत्र प्रशिक्षण।

(ग) अन्य अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट–** अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :– उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में “नोट–3” देखें।

**05. प्राविधिक सहायक रसायन ,भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)**

(i) पदों की संख्या –01 (अनारक्षित)

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4200/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ एम0एस0सी0 रसायन विषय में उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता – चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमानता दी जायेगी

(ग) अन्य अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट— अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-3" देखें।

## 06. खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)

(i) पदों की संख्या –10 (06 पद अनारक्षित, 03 अनु0जाति व 01 अ0पि0 वर्ग हेतु आरक्षित )

(ii) वेतनमान – रू 9300-34800 ग्रेड पे-रू 4200/-

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता — किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता – खनिकर्म का निरीक्षण करने और खनिकर्म विधि को लागू करने का अनुभव।

(ग) अन्य अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट— अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-3" देखें।

## 07. मानचित्रकार (नक्शानवीस), भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)

(i) पदों की संख्या –01(अनु0जाति हेतु आरक्षित)

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4200/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – (1) नक्शानवीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता –1. भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खण्ड (सैक्शन) का प्रारूप तैयार करने का अनुभव और परिवर्धन, लघुकरण, उपस्कर के प्रयोग करने का अनुभव।

(ग) अन्य अधिमानी अर्हता –अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट– अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1997 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में “नोट–3” देखें।

## 08. अवर अभियंता, सिविल (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(i) पदों की संख्या –05 (04 पद अनारक्षित व 01 अनु0जाति हेतु आरक्षित )

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4200/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से ओवरसियर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है :-

(मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र की सूची)

1. रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।

2. थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की द्वारा अपने विद्यार्थियों को दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।



3. थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रूड़की द्वारा सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ के विद्यार्थियों को दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।
4. थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रूड़की द्वारा हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ के विद्यार्थियों को दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।
5. मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।
6. इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना द्वारा दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र।
7. उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल, कटक द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा।
8. केन्द्र या राज्य विधानमण्डलों के किसी अधिनियम द्वारा निगमित भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा दिया गया ओवरसियर प्रमाण पत्र या डिप्लोमा।
9. एडहॉक बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, उत्तराखण्ड द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा।
10. प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा।
11. अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र।
12. प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से निर्माण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

#### टिप्पणी:

अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में विभाग में पहले से कार्य कर रहे ओवरसियर जिन्होंने हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से अपने प्रमाण पत्र 1936 में या उसके पश्चात प्राप्त कर लिये हो और उस वर्ष से जब से ऐसे प्रमाण पत्र थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रूड़की द्वारा दिये जाने प्रारम्भ किये गये हों, सेवा में भर्ती के लिये, यदि वे अन्यथा पात्र हों, अर्ह समझा जायेगा।

(ख) अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-3" देखें।

### 09. प्रधान लिपिक, पालिका केन्द्रीय सेवा (शहरी विकास विभाग)

(i) पदों की संख्या –24 (15 पद अनारक्षित, 05 अनु0जाति, 01 अनु0जनजाति व 03 अ0पि0वर्ग)

(ii) वेतनमान – रू 5200–20200 ग्रेड पे–रू 2800/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

**(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –**

(1) अभ्यर्थी भारतवर्ष में विधितः स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारक हो।

(2) अभ्यर्थी कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण की 4000 की-डिप्रेषन प्रति घन्टा की न्यूनतम दक्षता रखता हो।

**(ख) अधिमानी अर्हता –** अभ्यर्थी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी0जी0डी0सी0ए0 का न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा DOEACC का O-Level प्रमाण पत्र धारित करता हो।

**(ग) अन्य अधिमानी अर्हता –**अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**(v) आयु सीमा –** आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1994 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट:-** उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में “नोट-3” देखें।

**10. सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)**

**(i) पदों की संख्या –**01(अनु0जाति हेतु आरक्षित )

**(ii) वेतनमान –** रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2800/-

**(iii) पद का स्वरूप –** अराजपत्रित पद (समूह-‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।

**(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-**

**(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –**किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण, शिल्पकारिता (सर्वेक्षण) में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

**(ख) अधिमानी अर्हता –** पर्वतीय क्षेत्रों में टैक्नामैट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव।

**(ग) अन्य अधिमानी अर्हता –**अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

**नोट-** अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

**(v) आयु सीमा –** आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1997 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1973 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(vi) **उच्चतम आयु सीमा में छूट** :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण** :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में **"नोट-3"** देखें।

**02. राष्ट्रीयता** : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**टिप्पणी** :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**03. चरित्र** :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी** :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**04. वैवाहिक प्रास्थिति** :- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**05. शारीरिक स्वस्थता** :- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि

वह वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे;

**06. आरक्षण :** ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी/उनके आश्रित, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-1" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ-पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परम्परागत आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस-जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

**07. आवेदन पत्र का स्वरूप :-** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त समूह-'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है:-

01.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	23 फरवरी, 2015
02.	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	27 फरवरी, 2015

- (I) ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR GROUP 'C' RECRUITMENT-2015** के सम्मुख "[Click Here](#)" पर जाएं एवं **Continue** करें।
- (II) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
- (III) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।
- (IV) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (40 KB से अनधिक) एवं हस्ताक्षर JPG Format (20 KB से अनधिक) में अपलोड करने होंगे।

- (V) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।
- (VI) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- (VII) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।
- (VIII) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

**08. शुल्क :-** ऑनलाईन आवेदन के "Candidate Registration" का प्रारूप भरने पर ई-चालान का प्रिंट आउट अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे, जिसमें दो प्रतियां होगी। उक्त ई-चालान के माध्यम से ही अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक, जिसका ई-चालान अभ्यर्थी ने प्रिंट किया है, की किसी शाखा में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करेंगे। ई-चालान के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹ 150/- मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	₹ 150/- मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एससी)	₹ 60/- मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एसटी)	₹ 60/- मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	₹ 60/- मात्र

**नोट:-** ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उसी गुणांक में परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। उदाहरणार्थ- यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी खान निरीक्षक (परीक्षा शुल्क ₹ 150/-) एवं सर्वेक्षक (परीक्षा शुल्क ₹ 150/-) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग अर्थात् ₹ 300/- परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

### **09. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-**

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों /मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 एवं प्रथम संशोधन, 2013 व द्वितीय संशोधन, 2014 आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(04) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/ साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(06) स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(07) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(08) स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(09) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(13) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) **परीक्षा भवन में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) **स्क्रीनिंग परीक्षा** (यदि आयोजित होती है तो ) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा /साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(17) **स्क्रीनिंग परीक्षा / साक्षात्कार** में सामान्य वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) नियमावली द्वारा प्रत्येक चरण में विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(21) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(22) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(24) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(25) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(27) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) प्रश्नगत चयन हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(29) सम्बन्धित पदों हेतु चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

**नोट :** अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट/मूल प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(एस०एन०पाण्डेय)  
सचिव।



परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील  
..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की ..... जाति के  
व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान  
(अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार  
उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में  
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

मुहर :

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .....  
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की  
अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना  
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....  
.... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता  
है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए प्रमाण-पत्र

(केवल शा0सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा0सं0-776/XX(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0-637/XX(4)26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिह्नित आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील .....नगर ..... जिला .....  
शा0सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शा0सं0-776/XX(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक  
22 अक्टूबर, 2008 तथा शा0सं0-637/XX(4)26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार  
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के रूप में चिह्नित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या - ..... तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार का  
हाल का फोटो जो  
उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री  
.....आयु ..... लिंग ..... पहचान चिन्ह .....  
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

- क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)
- (i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
- (iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पहुँच  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
- ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
- (i) बी – अंधता
- (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
- (i) डी–बधिर
- (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्ष ..... महीनों

की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :-

- |  |          |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।              | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।    | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।                 | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                          | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                         | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।                  | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।                       | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।             | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।   | हाँ/नहीं |

डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र  
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....तहसील  
..... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा  
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)  
अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और  
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित  
पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के  
आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

“परिशिष्ट-2”

**FORMAT**

**Experience Certificate**

Logo of Office  
(If available)

Name of Deptt./Office : .....

Address of Deptt./Office : .....

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : .....

Telephone No. : .....

Website : .....

Dated : .....

Ref. No. -

This is certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri..... is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Name & Signature of Candidate :

Sign .....  
(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)  
Designation with seal

“परिशिष्ट-3”

समूह 'ग' के पदों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 2 घंटे

प्रश्नों की संख्या : 150

पूर्णांक : 150

खण्ड-1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 90

पूर्णांक : 90

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, 10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि।

खण्ड-2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

**सामान्य बुद्धिमता :** इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

**General Intelligence:** The questions on general intelligence will cover, both, verbal and non verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

खण्ड-3 सामान्य हिन्दी  
(सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण)

प्रश्नों की संख्या : 30

पूर्णांक : 30

(i) विलोम (पाँच शब्द), (ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (पाँच वाक्य), (iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (पाँच शब्द), (iv) तत्सम एवं तदभव शब्द (पाँच शब्द), (v) विशेष्य एवं विशेषण (पाँच शब्द), (vi) पर्यायवाची शब्द (पाँच शब्द)





"परिशिष्ट-4"

## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित समूह-'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑन-लाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप

01.	विज्ञापन संख्या	विज्ञापन संख्या – 03/डी0आर0/सेवा-2/2014-15																					
02.	आवेदित पद का नाम		अभ्यर्थी का फोटो (46 के0बी0 से अनधिक)																				
03.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)																						
04.	अभ्यर्थी की जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)																						
05.	नागरिकता		अभ्यर्थी के हस्ताक्षर																				
06.	क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है ? (हाँ अथवा नहीं)																						
07.	यदि "हाँ" तो आरक्षण की जिस श्रेणी का लाभ चाहते हैं, नीचे दिये गये बॉक्स में ✓ का निशान लगाएं (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के दावे की पुष्टि में नवीनतम शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटों प्रतियां अवश्य संलग्न करें) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>उत्तराखण्ड अनु0जा0</td><td>उत्तराखण्ड अनु0जनजाति</td><td>उत्तराखण्ड पिछड़ी जाति</td><td>उत्तराखण्ड स्व0सं0से0आश्रित</td><td>उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/ आश्रित</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक</td><td>उत्तराखण्ड महिला</td><td>अन्धापन</td><td>बधिर</td><td>शारीरिक</td></tr></table> <p>उत्तराखण्ड विकलांग</p> <p>नोट : विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांगता से सम्बन्धित श्रेणी को ही चिन्हित करें।</p>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अनु0जनजाति	उत्तराखण्ड पिछड़ी जाति	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0आश्रित	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/ आश्रित	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड महिला	अन्धापन	बधिर	शारीरिक
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अनु0जनजाति	उत्तराखण्ड पिछड़ी जाति	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0आश्रित	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/ आश्रित																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड महिला	अन्धापन	बधिर	शारीरिक																			
08.	वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित)																						
09.	स्थाई पता (पिन कोड सहित)																						
10.	पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित)																						
11.	मोबाइल नम्बर																						

12.	शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :-														
		बोर्ड / वि०वि०	वर्ष	विषय	श्रेणी	पूर्णांक / प्राप्तांक	प्रतिशत	संस्था का नाम							
	हाईस्कूल														
	इण्टरमीडिएट														
	स्नातक														
	स्नातकोत्तर														
	डिप्लोमा														
	पीएच०डी०														
	अन्य														
13	अनिवार्य / अधिमानी अनुभव का विवरण														
	पदनाम	वेतनमान	सेवा की अवधि	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी / गैर सरकारी)	अन्य									
14.	<p>अधिमानी अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो), यदि अभ्यर्थी धारित हो तो नीचे दिये गये बॉक्स में ✓ का निशान लगाएं –</p> <p>1. आवेदित पद से संबंधित अधिमानी अर्हता (विवरण दें).....</p> <p>2. आवेदित पद से संबंधित अधिमानी अर्हता (विवरण दें) .....</p> <p>3. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा।</p> <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>हाँ</td> <td></td> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table> <p>4. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।</p> <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>हाँ</td> <td></td> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>							हाँ		नहीं		हाँ		नहीं	
हाँ		नहीं													
हाँ		नहीं													

15.	क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत है? (हाँ/ नहीं)	
(i)	यदि "हाँ" तो पंजीकरण की संख्या एवं वैधता की तिथि	
(ii)	उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का नाम	
16.	क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड सरकार के नियमित/ स्थायी कर्मचारी हैं? (हाँ/ नहीं)	
17.	क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा अयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किए गए हैं ? यदि "हाँ", तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें ?	
18.	<b>घोषणा</b>	
	<p>1. मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं यह मुझे मान्य है और मैं वह शर्तें पूरी करता/करती हूँ ।</p> <p>2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।</p> <p>3. मैं राज्य सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक .....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।</p> <p>4. मैंने इस आवेदन पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी है। इनमें कोई कमी पाई जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।</p>	
	<b>संलग्नकों की संख्या</b> 1. अंकों में ..... 2. शब्दों में ..... 3. विवरण.....	<b>19. अंगूठे का निशान</b>  (पुरुष अभ्यर्थी बायें अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी दाहिने अंगूठे का निशान लगायें)
		<b>20. हस्ताक्षर</b>  <b>नाम :</b> (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा)



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

## गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

टोल फ्री नं०  
18001804143

मोबाइल नं०  
7060002410

संख्या - 461/03/ डी0आर0/सेवा-02/2014-15

दिनांक: 31 जनवरी, 2015

### विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह- 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन सं० 03 / विज्ञापन / सेवा-02 / 2014-15 आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। रिक्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अ०पि० वर्ग
01.	पर्यटन विभाग	सहायक प्रवक्ता (कुकरी, बेकरी, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट, रिसेप्शन)	01	-	01	-	-
02.	खेल विभाग	उप क्रीड़ा अधिकारी	03	01	01	-	01
03.	औद्योगिक विकास विभाग	प्राविधिक सहायक, भू-भौतिकी	01	01	-	-	-
04.	औद्योगिक विकास विभाग	प्राविधिक सहायक, भू-विज्ञान	02	01	01	-	-
05.	औद्योगिक विकास विभाग	प्राविधिक सहायक, रसायन	01	01	-	-	-
06.	औद्योगिक विकास विभाग	खान निरीक्षक	10	06	03	-	01
07.	औद्योगिक विकास विभाग	मानचित्रकार (नक्शानवीस)	01	-	01	-	-
08.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अवर अभियन्ता (सिविल)	05	04	01	-	-
09.	पालिका केन्द्रीयित सेवा (शहरी विकास विभाग)	प्रधान लिपिक	24	15	05	01	03
10.	औद्योगिक विकास विभाग	सर्वेक्षक	01	-	01	-	-

ऑनलाइन आवेदन (Online Application) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है:-

01	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	07 फरवरी, 2015 (शनिवार)
02	ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	23 फरवरी, 2015 (सोमवार)
03	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	27 फरवरी, 2015 (शुक्रवार)

(पी०के० गोयल)

प्र० सचिव



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार  
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

टोल फ्री नं०  
18001804143



मोबाइल नं०  
7060002410

संख्या - 461(1)/03/ डी0आर0/सेवा-02/2014-15

दिनांक: 02 फरवरी, 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह- 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन सं० 03/विज्ञापन /सेवा-02 /2014-15 आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(एस०एन०पाण्डेय)  
सचिव

प्रेषक,

सचिव,  
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,  
हरिद्वार।

सेवा में,

एडनेक एडवरटाइजिंग,  
प्रिमीयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,  
नं0-118, 1<sup>st</sup> फ्लोर,  
राजेन्द्र नगर, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

हरिद्वार : दिनांक 02 फरवरी, 2015

विषय : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह- 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) संबंधी विज्ञप्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों में समूह- 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) संबंधी विज्ञप्ति संख्या-461/02/डी0आर0/सेवा-02/2014-15, दिनांक 31 जनवरी, 2015 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त विज्ञप्ति की प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी, 2015 को निम्न हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कराया जाना है :-

01. अमर उजाला, उत्तराखण्ड संस्करण।

02. हिन्दुस्तान टाइम्स, उत्तराखण्ड संस्करण।

03. टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली संस्करण। (लघु विज्ञप्ति सं0 461(1)/02/डी0आर0/सेवा-02 2014-15)

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को उल्लिखित समाचार पत्रों में नियत तिथि पर प्रकाशित कराते हुए उक्त समाचार पत्रों की एक-एक प्रति सहित इसका बिल भी डी0ए0वी0पी0-1 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एन0पाण्डेय)

सचिव

#### 04. प्राविधिक सहायक रसायन, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय (औद्योगिक विकास विभाग)

(i) पदों की संख्या –01 (अनारक्षित)

(ii) वेतनमान – रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4200/–

(iii) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता — कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ एम0एस0सी0 की उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

(ख) अधिमानी अर्हता – चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमानता दी जायेगी।

(ग) अन्य अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट— अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) आयु सीमा – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(vi) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(vii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

#### अवर अभियन्ता (शहरी विकास विभाग)

(i) पद कोड – 22/सेवा-02

(ii) पदों की संख्या –02 (01अनु0जाति एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित )

(iii) वेतनमान – रू 5200–20200 ग्रेड पे–रू 2800/–

(iv) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – सिविल- निम्नलिखित में से किसी संस्था द्वारा का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा :-

(मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र की सूची)

1. रुड़की विश्वविद्यालय।
2. हीवेल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ अथवा
3. सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ अथवा
4. अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा

5. पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा
6. उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा
7. एम0जी0 टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट डिप्लोमा अथवा
8. राज्य सरकार अथवा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त कोई संस्थान

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता –अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो.

**नोट— अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।**

**(vi) आयु सीमा** – आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1996 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

## 22. सफाई निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)

- (i) पद कोड – 24/सेवा-02
- (ii) पदों की संख्या –02 (01 अनारक्षित व 01 अनु0जाति)
- (iii) वेतनमान – रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2400/-
- (iv) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – बी0एस0सी0 तथा राज्य स्वास्थ्य संस्थान से एक वर्षीय हाईजीन एवं सेनिटेशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाईजीन एवं सेनिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता –अन्य बातों के समान होने पर क्रैन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो.

**(vi) आयु सीमा** – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

## 23. कर एवं राजस्व अधीक्षक (शहरी विकास विभाग)

- (i) पद कोड – 25/सेवा-02
- (ii) पदों की संख्या –02 (01 अनारक्षित व 01 अन्य पिछड़ी जाति)



- (iii) वेतनमान – रू 5200–20200 ग्रेड पे–रू 2800/–  
(iv) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।  
(v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक।

(ख) अधिमानी अर्हता – लोकल सैल्फ गवर्मेन्ट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री या डिप्लोमा।

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता –अन्य बातों के समान होने पर क्रेन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,.

**(vi)आयु सीमा** – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii)उच्चतम आयु सीमा में छूट** :- विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण** :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में “नोट–2” देखें।

#### 24. कर एवं राजस्व निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)

- (i) पद कोड – 26/सेवा–02  
(ii) पदों की संख्या –04 (02 अनारक्षित व 02 अनु0 जाति)  
(iii) वेतनमान – रू 5200–20200 ग्रेड पे–रू 2000/–  
(iv) पद का स्वरूप – अराजपत्रित पद (समूह–‘ग’)। अंशदायी पेंशनयुक्त।  
(v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक।

(ख) अधिमानी अर्हता –अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,.

**(vi)आयु सीमा** – आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii)उच्चतम आयु सीमा में छूट** :- विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण** :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में “नोट–2” देखें।

उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2013 को दिए गये हैं किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका संख्या के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26.08.2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्तियां दी जायेगी।

### अवर अभियन्ता (शहरी विकास विभाग)

(i) पद कोड - 22/सेवा-02

(ii) पदों की संख्या -02 (01अनु0जाति एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित )

(iii) वेतनमान - रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2800/-

(iv) पद का स्वरूप - अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता - सिविल- निम्नलिखित में से किसी संस्था द्वारा का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा :-

(मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र की सूची)

9. रुड़की विश्वविद्यालय।

10. हीवेल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ अथवा

11. सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ अथवा

12. अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा

13. पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा

14. उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, अथवा

15. एम0जी0 टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट डिप्लोमा अथवा

16. राज्य सरकार अथवा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त कोई संस्थान।

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता -अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

**नोट-** अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

**(vi) आयु सीमा** - आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1996 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

## 22. सफाई निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)

- (i) पद कोड - 24/सेवा-02
- (ii) पदों की संख्या -02 (01 अनारक्षित व 01 अनु0जाति)
- (iii) वेतनमान - रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2400/-
- (iv) पद का स्वरूप - अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता - बी0एस0सी0 तथा राज्य स्वास्थ्य संस्थान से एक वर्षीय हाईजीन एवं सेनिटेशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाईजीन एवं सेनिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता -अन्य बातों के समान होने पर क्रेन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(vi) आयु सीमा - आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

## 23. कर एवं राजस्व अधीक्षक (शहरी विकास विभाग)

- (i) पद कोड - 25/सेवा-02
- (ii) पदों की संख्या -02 (01 अनारक्षित व 01 अन्य पिछड़ी जाति)
- (iii) वेतनमान - रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2800/-
- (iv) पद का स्वरूप - अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता - किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक।

(ख) अधिमानी अर्हता - लोकल सैल्फ गवर्मेन्ट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री या डिप्लोमा।

(ख) अन्य अधिमानी अर्हता -अन्य बातों के समान होने पर क्रेन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(vi) आयु सीमा - आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

#### **24. कर एवं राजस्व निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)**

- (i)** पद कोड - 26/सेवा-02
- (ii)** पदों की संख्या -04 (02 अनारक्षित व 02 अनु0 जाति)
- (iii)** वेतनमान - रू 5200-20200 ग्रेड पे-रू 2000/-
- (iv)** पद का स्वरूप - अराजपत्रित पद (समूह-'ग')। अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v)** शैक्षिक एवम् अधिमानी अर्हतायें-

**(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता -** किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक।

**(ख) अधिमानी अर्हता -** अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवा में सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

**(vi) आयु सीमा -** आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2014 है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

**(vii) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(viii) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :-** उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में "नोट-2" देखें।

#### **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र**

(केवल शा0सं0-2963/XX(4)-3(26)/उ0आ0/2006 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिह्नित आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/  
सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....  
..नगर ..... जिला ..... शा0सं0-2963/XX(4)-3(26)/उ0आ0/2006 दिनांक  
13 दिसम्बर, 2011 के अनुसार 7 दिन से अधिक अवधि तक जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री .....  
..... पुत्र श्री ..... के एक आश्रित हैं।

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....

मुहर .....  
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट